

बिहारसरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव ।

सेवामें,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-०७/०८/2025

विषय:- राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा में 120 नामांकन क्षमता के आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं 150 शैय्या का आयुर्वेदिक अस्पताल तथा अन्य अनुसांगिक भवनों के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु० 1,95,63,34,000/- (रुपये एक अरब पन्चानवे करोड़ तिरसठ लाख चौतीस हजार) की लागत पर स्वीकृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु० 28,00,00,000/- (रुपये अठ्ठाईस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक-4724, दिनांक-23.09.2021 एवं पत्रांक-6161, दिनांक-26.11.2021 के द्वारा उपलब्ध कराय गये राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा में 120 नामांकन क्षमता के आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं 150 शैय्या का आयुर्वेदिक अस्पताल तथा अन्य अनुसांगिक भवनों के निर्माण हेतु प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 में, कुल रु० 1,95,63,34,000/- (रुपये एक अरब पन्चानवे करोड़ तिरसठ लाख चौतीस हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-255(7), दिनांक-11.01.2022 के द्वारा प्रदान की गई है।

2- Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-III अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक-No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Bihar, दिनांक-29.07.2026 द्वारा इस योजना हेतु रु० 28.00 करोड़ मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृतिदेश संख्या-No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Part-III-SACE-6, दिनांक-29.07.2026 के माध्यम से राशि विमुक्त की गयी है। तदक्रम में वित्त विभाग के पत्रांक-910/वि०, दिनांक-30.07.2026 के द्वारा SASCI 26-27 Part-III हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु० 28.00 करोड़ मात्र के व्यय की स्वीकृति दिये जाने का निर्देश दिया गया है।

3- इस योजना हेतु अबतक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	व्ययादेश सं०/आवटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2021-22	6,00,00,000/-	सं०-300(7), दिनांक-07.02.2022
2	2022-23	6,20,00,000/-	सं०-458(7), दिनांक-14.02.2023
3	2024-25	6,00,00,000/-	सं०-231(7), दिनांक-21.10.2024
4	2024-25	45,00,00,000/-	सं०-401(7), दिनांक-30.01.2025
5	2024-25	20,00,00,000/-	सं०-530(7), दिनांक-20.03.2025
6	2025-26	10,00,00,000/-	सं०-276(7), दिनांक-02.09.2025
कुल योग-		93,20,00,000/-	

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा में 120 नामांकन क्षमता के आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं 150 शैया का आयुर्वेदिक अस्पताल तथा अन्य अनुसांगिक भवनों के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु० 1,95,63,34,000/- (रुपये एक अरब पन्चानवे करोड़ तिरसठ लाख चौतीस हजार) की लागत पर स्वीकृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु० 28,00,00,000/- (रुपये अट्ठाईस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं०-255(7) दिनांक-11.01.2022 में अंकित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6- इस व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0101-आयुष कॉलेज अस्पताल एवं डिस्पेंसरी, विपत्र कोड-20-4210021100101, अंतर्गत विषय शीर्ष-53-01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

7- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8- वित्त विभागीय पत्र संख्या-632/वि०, दिनांक-04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि०, दिनांक-06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए दूसरे दिन राशि को बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) पी० एल० खाता में हस्तान्तरित राशि को दूसरे दिन वित्त विभाग के पत्रांक-910/वि०, दिनांक-30.07.2026 के कंडिका 05 के अनुसार राशि के व्यय हेतु AXIS Bank खाते में हस्तान्तरित कर SASCI 26-27 Part-III के दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

9- वित्त विभागीय पत्रांक-910/वि०, दिनांक-30.07.2026 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017, 7111/वि०, दिनांक-28.07.2022 एवं 12888/वि० दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

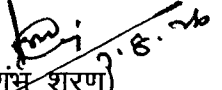
11- प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

12- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-7/बजट-46-07/2021 के पृष्ठ-49/टि0 में प्राप्त है।

14-यह मात्र व्ययादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

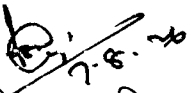

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-7/बजट-46-07/2021 - 284 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक-07/08/2026

प्रतिलिपि-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/प्राचार्य, राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/महानिदेशक (आयुष), आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक (आयुर्वेद)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभागकोविभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव

24

